न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा उन्नाव।

UPUN120008492014

विविध वाद सं0–80/2014

मु0अ0सं0–624/2012

थाना–बिहार, उन्नाव।

दिनांक–19.03.2026

परिवादी शिवदास शुक्ला बनाम मुन्नूलाल बाजपेई आदि

विविध वाद पेश हुआ। वादी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक के द्वारा विवेचना करने के उपरान्त मु0अ0सं0–624/2012 धारा 419,420,467,468 भा0दं0सं0 थाना बिहार, जिला उन्नाव के प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। जिस पर न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित की गयी जिस पर अभियुक्त की मृत्यु आख्या मय मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान द्वारा जारी सम्बन्धित थाने से प्राप्त हुई है। जिसके अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। अन्तिम रिर्पोट इस न्यायालय में वर्ष 2014 से लम्बित है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी कोई प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैने पत्रावली का सम्यक अवलोकन कर लिया। विवेचना में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः मामले के तथ्य एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम आख्या सं0 01/13 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रर्कीण वाद सं0–80/2014, अ0सं0–624/2012 धारा 419,420,467,468 भा0दं0सं0, थाना बिहार जिला उन्नाव में अन्तिम आख्या सं0 01/2013 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट

पुरवा, उन्नाव।